M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION - 2017

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :12
No. of Printed Pages : 12

JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

Fourth Question Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others. Do not write any name in the place of name of Court while settling issue, framming charges and writing Judgment. Use XYZ in the place of name of Presiding Officer. It is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके । विवाद्यकों का स्थिरीकरण, आरोपों की विरचना एवं निर्णय लेखन में न्यायालय के स्थान पर किसी नाम का प्रयोग न करें । पीठासीन अधिकारी के नाम के स्थान पर XYZ का प्रयोग करे । यह सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Candidate shall start answering of next question from the next page. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   अभ्यर्थी अगले प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से देना प्रारंभ करें । सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under - **10**

PLAINTIFF'S PLEADINGS **:-**

1. Plaintiff filed suit for declaration, injunction and alternatively for recovery of Rs 150000/-against "A" "B" "C". Plaintiff case is "A" & "B" are real brother, son of Deviya Chamar. Plaintiff and defendants are residents of same village Unchehra. Land survey No 945, area 11 decimal, situated in the same village, was recorded in name of defendants "A" & "B" in the revenue khasras and they were in possession of the land. This land is adjoining to his land survey No 951. Defendants "A" & "B" sold the land survey No 945 in the year 1995 by way of registered sale deed in lieu of Rs 51000 consideration and had delivered possession to plaintiff since then plaintiff is in possession. Plaintiff constructed two rooms on part of the land and is residing with his family. Cost of the construction is around Rs 1,00,000.

2. It is further pleaded that plaintiff filed an application for mutation in Court of Tehsildar which was registered as case No 2 a 6/ 95-96. Defendant "C" objected that land does not belong to Deviya Chamar but it belongs to Deviya Kalar. "A" &"B" falsely made an entry in khasra in collusion with Patwari as Deviya Chamar instead of Deviya Kalar. Tehsildar refused mutation and dismissed application. Plaintiff filed appeal but appeal was also dismissed by SDO.

3. In best of plaintiff's knowledge there was no person as Deviya Kalar in the village. Plaintiff attempted to contract with "A" & "B" but they refused to meet and not ready to return his money. Plaintiff also gave notice to "C" through his counsel and asked where about of Deviya Kalar and also asked to return his sale consideration and cost of the construction. He is ready to return land at their expenses

but "C" did not answer the notice which was received by him on date 20 Aug 2009.

4. Hence suit is filed with the prayer to declare that plaintiff is owner and in possession of land. Defendant "C" be restrain not to interfere with plaintiff's possession alternatively defendant may be ordered to return Rs 1,50,000 with interest.

WRITTEN STATEMENT **:-**

1. "A & "B:" did not participated in Court. They remained ex-party.

2. Defendant "C" filed his WS and refuted the plaint averments. He pleaded that land survey No 945 was in name of Deviya Kalar before 1994. In the year between 1994-95 when the roster of Khasra Panchsalal changed "A" & "B" and plaintiff with the collusion of Patwari Halka Lal Man Sukla made an false entry in the name of Deviya Chamar instead of Deviya Kalar. Patwari Lal Man made a report to Teshildar that Deviya Chamar had already died so survey No 945 should be recorded in the name of his son A" & "B" who passed order accordingly without giving any notice to "C" whereas "C" was in possession.

3. It is further pleaded that owner of the land survey No 945 was Deviya Kalar who died issue less and was residing with defendant "C". Plaintiff was neither in possession nor constructed house on the land, in fact house was constructed by Deviya Kalar and "C" is in exclusive possession of the house. Plaintiff is next neighbour of "C". This fact was well known to him that Deviya Kalar had died issueless, therefore, he planned conspiracy with "A" & "B" and Patwari Halka and replaced the word "Kalar" with "Chamar"

4. It is further pleaded that suit for declaration is not maintainable without claiming relief of possession. Plaintiff is not entitle for any money from "C" neither he had payed any money to "C" neither before getting registry he consulted "C". Therefore, he is not entitled for any relief against answering defendant.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

<u>वादी के अभिवचन –</u>

1. वादी ने घोषणा, निषेधाज्ञा एवं विकल्प में 1,50,000/–रूपये 'अ', 'ब' एवं 'स' से वसूली हेतु एक वाद प्रस्तुत किया। वादी का मामला इस प्रकार है कि 'अ' और 'ब' सगे भाई हैं। इनके पिता का नाम देबिया चमार है। वादी और प्रतिवादीगण एक ही गांव उचेहरा के रहने वाले हैं। भूमि सर्वे नं. 945 क्षेत्रफल 11 डिसमिल भी इसी गांव में स्थित है और 'अ' एवं 'ब' के नाम खसरे में दर्ज है और वही इस भूमि के आधिपत्य में थे। यह भूमि वादी की भूमि सर्वे नं. 951 से लगी हुई है। प्रतिवादी 'अ' एवं 'ब' ने भूमि सर्वे नं. 945 वर्ष 1995 में पंजीकृत विक्रय पत्र से 51,000/–रूपये प्रतिफल पर वादी को विक्रय किया और आधिपत्य प्रदान किया, तब से वादी आधिपत्य में है। वादी ने उस भूमि के कुछ भाग पर दो कमरों का निर्माण किया और अपने परिवार सहित रह रहा है, निर्माण की लागत लगभग 1,00,000/–रूपये है।

2. आगे वादी का यह अभिवचन है कि उसने तहसीलदार के न्यायालय में नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया जो कि प्रकरण क्र. 2अ6/95–96 के रूप में दर्ज हुआ। प्रतिवादी 'स' ने यह आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्त भूमि देबिया चमार की नहीं है बल्कि देबिया कलार की है। 'अ' एवं 'ब' ने पटवारी से मिलकर देबिया कलार की जगह पर देबिया चमार दर्ज करा दिया। तहसीलदार ने आवेदन निरस्त कर दिया, नामांतरण करने से इंकार कर दिया। वादी ने अपील प्रस्तुत की किन्तु एस.डी.ओ. द्वारा अपील भी निरस्त कर दी गयी।

3. वादी की जानकारी में देबिया कलार नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। वादी ने 'अ' एवं 'ब' से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया और उसका पैसा भी वापस करने से इंकार कर दिया। वादी ने 'स' को भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजी और उनसे पूंछा की देबिया कलार का क्या पता है और उनसे भी ये कहा कि उसका बिक्रय प्रतिफल वापस कर दें और मकान की लागत दे दें, वह भूमि उनके खर्चे पर वापस करने को तैयार है किन्तु 'स' ने कोई उत्तर नहीं दिया। उक्त नोटिस 'स' को 20 अगस्त 2009 को प्राप्त हुई।

4. परिणामस्वरूप दावा इस अनुतोष के साथ प्रस्तुत हुआ कि यह घोषित किया जाय कि वादी भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी 'स' को निषेधित किया जाय कि वादी के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें। विकल्प में यह भी अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादी को आदेशित किया जाय कि वह 1,50,000/–रूपये मय ब्याज के वापस करे।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन –</u>

1. 'अ' एवं 'ब' ने न्यायालयीन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। वे एकपक्षीय रहे।

2. प्रतिवादी 'स' ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए दावे के अभिवचनों को इंकार किया। उसका यह अभिवचन है कि भूमि सर्वे नं. 945 वर्ष 1994 के पहले देबिया कलार के नाम थी। वर्ष 1994–95 के मध्य जब खसरा पंचशाला का रोस्टर बदला तब 'अ', 'ब' और वादी ने पटवारी हल्का लालमन शुक्ला से मिलकर एक गलत इन्द्राज देबिया कलार की जगह पर देबिया चमार कराया। पटवारी लालमन ने एक रिपोर्ट तहसीलदार को भेजी कि देबिया चमार मर चुका है, इसलिए भूमि सर्वे नं. 945 उसके पुत्र 'अ' एवं 'ब' के नाम दर्ज किया जाना चाहिए। रिपोर्ट पर प्रतिवादी 'स' को बगैर सुने ही आदेश पारित कर दिया गया, जब कि प्रतिवादी 'स' ही मौके पर आधिपत्य में था।

3. आगे यह अभिवचन है कि देबिया कलार ही भूमि सर्वे नं. 945 का भूमि स्वामी था, उसकी निःसंतान मृत्यु हो गयी, वह प्रतिवादी 'स' के साथ रहता था। वादी कभी भी न तो आधिपत्य में था, न ही उसने मकान बनवाया। वास्तव में उक्त भूमि पर जो मकान बना हुआ है वह देबिया कलार ने बनवाया है और 'स' उसमें अनन्य आधिपत्य में है। वादी 'स' का पड़ोसी है। उसको भलीभांति ये ज्ञान है कि देबिया कलार की निःसंतान मृत्यु हुई है इसीलिए उसने 'अ' और 'ब' एवं पटवारी हल्का के साथ मिलकर षडयंत्र किया और कलार की जगह पर चमार लिखा लिया।

4. आगे यह अभिवचन है कि आधिपत्य के अनुतोष के बगैर घोषणा का दावा नहीं चल सकता। वादी 'स' से कोई भी रकम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, न ही उसने 'स' को कोई रकम दी है और न ही रजिस्ट्री करने से पहले 'स' से कोई बातचीत की, इसलिए वह कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

FRAMING OF CHARGES
आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame charge/charges on the basis of allegations given here under.- 10

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS –

Ram Lal lodged first information report in police station, Shahjehanabad, Bhopal at 1:00 P.M. on 15/07/2017 stating that in the morning today at about 10:00 A.M. he was coming to his house from District Court Bhopal, a place about 4 Kms away from police station. Two person Shyam Lal and Banshi Lal obstructed his way, hurled abusive words Mother and Sister on him and gave him severe beating by lathis, as a result of which he suffered injuries on his head and forearm of his right hand. He fell down and became unconscious. Sitaram known passer-by took him to his house. On regaining consciousness he has come to report. On the story narrated by the injured Ram Lal an offence was registered on Crime Number 150/2017. Station incharge of the police station send him for medical examination to Hamidia Hospital Bhopal where he was medically examined and prepared MLC Report was prepared. In X-ray examination of injuries fracture in right Ulna bone was found.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन – रामलाल ने दिनांक–15.07.2017 को दिन में 1:00 बजे पुलिस थाना शाहजहाँनाबाद भोपाल में इस आशय की रिपोर्ट की कि वह आज सुबह लगभग 10:00 बजे जिला न्यायालय जो पुलिस थाने से लगभग 4

किलोमीटर दूर है, से उसके घर की ओर आ रहा था। उस समय अभियुक्त श्याम लाल और बंशीलाल लाठियॉ लिए हुए आये और उसका रास्ता रोककर माँ एवं बहन की गालियाँ देते हुए लाठियों से मारपीट करने लगे जिससे उसे सिर पर तथा दाहिने हाथ की अग्रभुजा पर चोटें आईं और वह गिरकर बेहोश हो गया। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने जाने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फिर रास्ते से गुजरते हुए सीताराम जो उसका परिचित व्यक्ति है, उसे उसके घर छोड़ आया। होश आने पर वह रिपोर्ट करने आया है। पुलिस ने आहत रामलाल द्वारा बताई गई कहानी अनुसार प्रकरण अपराध क्रमांक–150/2017 पर पंजीबद्ध किया। थानाप्रभारी ने उसे इलाज हेतु हमीदिया अस्पताल भोपाल भेजा जहाँ पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ व एमएलसी तैयार की गई । चोटों की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट में दाहिनीं अल्ना अस्थि में भंग पाया गया।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)
निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- **40**

***PLAINTIFF'S PLEADINGS*:-** Plaintiff 'A' is the owner of House no. 110 situated at X District Jabalpur. He purchased this house from his aunt 'M' on 12th April, 2005 through a registered sale-deed for a consideration of Rs. 1,50,000/-. At present, he is living as a tenant in 'M''s another house and he has no other house of his own in the town. At the time of purchase, the defendant 'B' was residing on the ground-floor of the house on a monthly rent of Rs. 750/-. On 30th July, 2005 he and 'M' gave a notice to the defendant directing him to pay rent to him in view of the sale but the defendant failed to comply with the direction. Ultimately, the plaintiff, by his notice dated 14th May, 2006, terminated the tenancy and demanded arrears of rent and also "asked the defendant to vacate the accommodation as it was required for his own residence''. However, the defendant, in his reply dated 20th May, 2006, denied the title of the plaintiff and refused to pay any rent to him saying that the so-called sale-deed is a sham document prepared for the purpose of his eviction. Hence, the suit was filed on 2nd September, 2006 for eviction on the grounds mentioned in Section 12[1][a][c] and [e] of the M.P. Accommodation Control Act, 1961 and for recovery of arrears of rent.

SUMMARY OF THE WRITTEN STATEMENT – The defendant has taken the suit accommodation on rent from 'M' right from the year 1997, 'M' was trying to evict him and, therefore, she also filed suits in the year 1997 and 2001, which were dismissed on 20th September, 1998 and 06th January, 2002. Thereafter, the said sale-deed was brought into existence mala fidely for the purpose of evicting him from the suit accommodation. The plaintiff 'A' has been living with M and also managing her property and business. "The plaintiff has no need of the suit accommodation." As such, the suit is liable to be dismissed with costs.

EVIDENCE FOR PLAINTIFF "A" – 'A' examined himself and substantially reiterated the pleadings. In support, he also examined 'M' and 'S', the attesting witness of the sale-deed. 'M' admitted that she had filed suits for eviction of the defendant but denied the suggestion that the sale-deed is a bogus and sham document. 'S' supported this fact that the plaintiff has no other residential accommodation of his own in Jabalpur.

EVIDENCE FOR DEFENDANT "B" – 'B' gave his statement wherein he supported the facts pleaded in the written statement. He also producted his neighbor 'D' as a witness and 'D' corroborated this fact that plaintiff is living as a member of family with M.

ARGUMENTS FOR PLAINTIFF "A" – Under Section 109 of the Transfer of property Act, the plaintiff automatically became landlord in respect of the suit accommodation i.e. with effect from the date of execution of the sale-deed by 'M'. Despite being apprised of this fact, 'B' had deliberately denied his title. 'A' has no other accommodation of his own in Jabalpur. Therefore, 'B' is liable to be evicted on the grounds mentioned in 12[1][c] and [e] of the Act.

ARGUMENTS FOR DEFENDANT "B" – in the circumstances of the case, the sale-deed is appatently bogus and sham document. Section 109 of the Transfer of Property Act applies to genuine transfers only. As such, there was no automatic attornment on the basis of the sale deed. In such a situation, 'B' was not stopped from challenging 'A''s title. 'A''s so-called need in respect of the suit

accommodation is not bona fide as he is residing with M as a member of her family. Since, the defendant has also deposited the amount of arrears of rent and the monthly rent in compliance with provisions of Section 13{1] after raising a dispute under Section 13{3] of the Act, he is entitled to refund of the entire amount so deposited.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी का अभिवचन – वादी 'अ' एक्स जिला जबलपुर में अवस्थित गृह 110 का स्वामी है। उसने अपनी चाची 'म' से यह गृह 12 अप्रैल 2005 को 1,50,000/– रू. प्रतिफल के बदले पंजीकृत विक्रय–विलेख के माध्यम से क्रय किया था। वर्तमान में वह 'म' के किसी अन्य गृह में बतौर किरायेदार निवास कर रहा है और उसके पास शहर में अपना निजी कोई अन्य गृह नहीं है। क्रय के समय प्रतिवादी 'ब' उस गृह के भूतल पर 750/– रू के मासिक किराये पर निवास कर रहा था। 30 जुलाई 2005 को उसने एवं 'म' ने प्रतिवादी को उसे यह निदेशित करते हुए नोटिस दी कि वह विक्रय को दृष्टिगत रखते हुए उसे किराया संदाय करे लेकिन प्रतिवादी ने उस निदेश का पालन नहीं किया। अन्ततोगत्वा, वादी ने दिनांक 14 मई 2006 की अपनी नोटिस से किरायेदारी को समाप्त कर दिया और किराये के अवशिष्टों की माँग की और उसने प्रतिवादी को वह जगह रिक्त करने के लिए भी कहा जिसकी उसके निजी निवास हेतु अपेक्षा की गई थी। तथापि प्रतिवादी ने दिनांक 20 मई 2006 के अपने उत्तर में वादी के हक से प्रत्याख्यान किया और यह कहकर उसे कोई भी किराया संदाय करने से इन्कार कर दिया कि तथाकथित विक्रय विलेख उसकी बेदखली के प्रयोजनार्थ तैयार किया गया मिथ्या दस्तावेज है। इसलिए म.प्र. स्थान नियन्त्रण अधिनियम, 1961 की धारा 12 (1) (क) (ग) और (ङ) में उल्लिखित आधारों पर बेदखली के लिए और किराये के अवशिष्टों की वसूली के लिए 12 सितम्बर 2006 को वाद दाखित किया गया।

लिखित कथन का संक्षेप सार– प्रतिवादी ने वर्ष 1997 से ही 'म' से वाद जगह को किराये पर लिया है, 'म' उसे बेदखल करने का प्रयास कर रही थी और इसलिए उसने वर्ष 1997 एवं 2001 में वाद दाखिल किये थे जिन्हें 20 सितम्बर 1998 तथा 6 जनवरी 2002 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त विक्रय विलेख को वाद जगह से उसकी बेदखली के प्रयोजनार्थ दुर्भावनापूर्ण ढंग से अस्तित्व में लाया गया। वादी अपनी चाची 'म' के साथ निवास कर रहा है और उसकी सम्पत्ति एवं व्यवसाय का भी प्रबन्ध कर रहा है। वादी को वाद जगह की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वाद खर्चे के साथ खारिज किये जाने योग्य है।

वादी 'अ' के लिये साक्ष्य – 'अ' ने स्वयं की परीक्षा कराई और पर्याप्त रूप से अभिवचनों को दोहराया। समर्थन में उसने 'म' तथा 'स' विक्रय विलेख के अनुप्रमाणक साक्षी की भी परीक्षा कराई। 'म' ने यह स्वीकार किया कि उसने प्रतिवादी को बेदखली

के लिए वादों को दाखिल किया था लेकिन उसने इस सुझाव से प्रत्याख्यान किया कि विक्रय–पत्र जाली एवं मिथ्या दस्तावेज है। 'स' ने इस तथ्य का समर्थन किया कि वादी के पास जबलपुर में अपना निजी कोई अन्य निवास स्थान नहीं है।

प्रतिवादी 'ब' के लिए साक्ष्य – 'ब' ने अपना कथन दिया जिसमें उसने लिखित कथन में अभिवचनित किये गये तथ्यों का समर्थन किया। उसने साक्षी के रूप में अपने पड़ोसी 'द' को भी पेश किया एवं 'द' ने इस तथ्य की सम्पुष्टि की कि वादी अपनी चाची 'म' के साथ परिवार के सदस्य के रूप में निवास कर रहा है।

वादी 'अ' के लिए तर्क – सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 109 के अधीन, वादी वाद जगह के सम्बन्ध में स्वमेव ही अर्थात् 'म' द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन की तारीख से भवनस्वामी बन गया था। इस तथ्य से परिचित कराये जाने के बावजूद 'ब' ने जानबूझकर इस तथ्य से प्रत्याख्यान किया था। 'अ' के पास जबलपुर में अपना कोई अन्य स्थान नहीं है। अतः 'ब' अधिनियम की धारा 12 (1), (ग) तथा (ङ) में उल्लिखित आधारों पर बेदखल किये जाने के लिए दायी है।

प्रतिवादी 'ब' के लिए तर्क – वाद की परिस्थितियों में, विक्रय विलेख प्रकट रूप से जाली एवं मिथ्या दस्तावेज है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 109 केवल वास्तविक अन्तरणों के लिए लागू होती है। इस तरह से विक्रय–विलेख के आधार पर स्वतः ही कोई अभिधारी नहीं माना गया था। ऐसी स्थिति में 'ब' को 'अ' के हक को चुनौती देने से विबन्धित किया गया। वाद जगह के सम्बन्ध में 'अ' की तथाकथित आवश्यकता सद्भाविक नहीं है क्योंकि वह 'म' के साथ उसके परिवार के सदस्य के रूप में निवास कर रहा है। चूँकि प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 13(3) के अधीन विवाद को उठाने के पश्चात् 13(1) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किराये के अवशिष्टों और मासिक किराये का भी निक्षेप किया है, इसलिए वह इस प्रकार निक्षेपित की गई सम्पूर्ण धनराशि को वापस प्राप्त करने के लिए हकदार है।

निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)
JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

Q. 4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. **40**

PROSECUTION CASE :- Prosecution story in brief is that on 14-12-2016 around 5:00 p.m. the complainant 'A' lodged an F.I.R. at city Kotwali Gwalior stating there in that he resides at Govindpuri Colony Gwalior. On 13-12-2016 around 8:00 p.m. when he was standing on the road outside of his residence, accused 'B1' and 'B2' came there armed with Lathis and started uttering obscene words to him. When complainant tried to stop them from abusing him, accused persons

'B1' and 'B2' attacked him with Lathis. Complainant sustained injuries on his head, back and right arm. When neighbours of the complainant came to save him, accused persons threatened the complainant to kill and fled away.

On the basis of this report Crime No. 312/16 was registered. Complainant was sent for medical examination by the In-charge of the Police Station. As per medical report fractures were found on right ulna bone and left parietal bone of the head of the complainant which are grievous injuries.

During the investigation site map was prepared, accused persons 'B1' and 'B2' were arrested and Lathis were recovered from their possession. After the investigation the charge-sheet was filed in the Court of Judicial Magistrate First Class.

DEFENCE PLEA :- The accused have denied the charge and their defence plea is that they have been falsely implicated on account of previous enmity.

EVIDENCE FOR PROSECUTION :- The prosecution examined as many as six witnesses in support of its case. Complainant 'A' P.W.1 proved the F.I.R., lodged by him. He supported the case of the prosecution and deposed that when he was standing on the road outside of his house, accused persons 'B1' and 'B2' came there armed with Lathis and started uttering obscene words to him. When complainant tried to stop them from abusing him, accused persons 'B1' and 'B2' attacked with Lathis. Complainant sustained injuries on his head, back and right arm. When neighbors of the complainant came to save the complainant accused persons threatened to kill him and fled away. He lodged the F.I.R. at city Kotwali Gwalior as per Ex.P-1. He was sent for medical examination to the district hospital, Gwalior. As per his medical report he has fractures on head and right arm. He was admitted to the hospital. Other eye witnesses 'C1' (P.W.2), 'C2' (P.W.3) also supported the prosecution version to the extent as of the P.W.1. Doctor 'D' (P.W.4) also corroborated the versions of the prosecution by proving his M.L.C. report Ex.P-2, X-Ray report Ex.P-3 and X-Ray plates Article 'A-1' and 'A-2'. In his cross-examination he denied the suggestions of the accused persons

that the complainant received the injuries by fall.

Investigation Officer 'E' (P.W.5) and independent witness 'F' (P.W.6) proved the seizer of the Lathis in their deposition.

EVIDENCE FOR DEFENCE :- The Accused 'B1' and 'B2' in their examination under section 313 of Cr.P.C. denied the allegations against them and took a defence of false implication due to enmity. No evidence in defence is given by the accused persons.

ARGUMENTS OF PROSECUTOR :- District Prosecution Officer has argued that the all charges against accused persons 'B1' and B2 are proved beyond any reasonable doubt, hence the accused persons be convicted accordingly and rigorous punishment be imposed.

ARGUMENTS OF DEFENCE COUNSEL :- Accused persons have been falsely implicated due to enmity. Prosecution evidence is doubtful, therefore, accused persons can not be convicted. Hence, they be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :– दिनांक 14.12.2016 को शाम करीब 5:00 बजे अभियोगी/रिपोर्टकर्ता 'ए' ने आरक्षी केन्द्र कोतवाली ग्वालियर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह गोविंदपुरी कॉलोनी में निवास करता है। दिनांक 13.12.2016 को शाम करीब 8:00 बजे वह अपने निवासस्थान के बाहर रोड पर खड़ा था, तभी अचानक 'बी 1', 'बी 2' लाठी लेकर वहाँ पहुँचे और उसे अश्लील गालियां देने लगे जब अभियोगी ने उन्हें मना किया तो 'बी 1' व 'बी 2' ने उसपर लाठियों से प्रहार किया। जिसके परिणामस्वरूप अभियोगी को सिर, पीठ व दाँयीं भुजा पर चोटें आईं। जब अभियोगी के पड़ोसी वहाँ आये और उन्होंने 'ए' को बचाया तो अभियुक्त 'बी 1' व 'बी 2' ने अभियोगी को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया तथा वहाँ से भाग गये।

अभियोगी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना आरक्षी केन्द्र कोतवाली ग्वालियर में की गई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 312/16 पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी द्वारा आहत/अभियोगी 'ए' को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार, अभियोगी के शरीर पर दाहिनी अल्ना हड्डी एवं सिर के बाँये पैराईटल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया।

अनुसंधान के दौरान नक्शामौका बनाया गया। अभियुक्त 'बी 1' व 'बी 2' को गिरफ्तार किया गया तथा उनके आधिपत्य से लाठियां जप्त की गईं। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :— अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने कथनों में पूर्व रंजिश के कारण झूठा फँसाये जाने का बचाव लिया।

अभियोजन की साक्ष्य :— अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में 6 अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है। अभियोगी 'ए' (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में उसके द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. को साबित किया है तथा अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि करते हुये कथन किया कि जब वह अपने मकान के सामने रोड पर खड़ा हुआ था तो अभियुक्तगण 'बी 1' व 'बी 2' वहाँ आये तथा पुरानी रंजिश पर से उसे लाठियों से मारने लगे। जिससे उसे सिर, पीठ तथा दाहिनी भुजा में चोट आई। जब उसके पड़ोसियों ने उसे आकर बचाया तो अभियुक्तगण वहाँ से उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये उसके बाद उसने प्र.पी.1 के अनुसार आरक्षी केन्द्र कोतवाली ग्वालियर में रिपोर्ट की। उसका चिकित्सकीय परीक्षण जिला अस्पताल ग्वालियर में कराया गया, जिससे उसके दाहिनी भुजा व सिर पर फ्रेक्चर होना पाया गया था और वह अस्पताल में भर्ती रहा था। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी 'सी 1' (अ.सा.2) एवं 'सी 2' (अ.सा.3) ने भी अभियोगी 'ए' के कथनों की अभियोजन के मामले की सीमा तक समर्थन किया। डॉक्टर डी अ.सा.4 ने भी अपनी साक्ष्य में एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी.2, एक्स–रे रिपोर्ट प्र.पी.3 तथा एक्स–रे प्लेट आर्टिकल 'ए–1' व 'ए–2' में अस्थिभंग होना प्रमाणित करते हुये अभियोजन की कहानी का समर्थन किया। अपने प्रतिपरीक्षण में चिकित्सकीय साक्षी ने अभियुक्त के इस सुझाव से इंकार किया कि आहत को गिरने से चोट आ सकती है। घटना में प्रयुक्त लाठियों की जप्ती की पुष्टि अनुसंधानकर्ता अधिकारी 'ई' (अ.सा.5) तथा स्वतंत्र साक्षी 'एफ' (अ.सा.6) द्वारा की गई है।

बचाव साक्ष्य :— अभियुक्त 'बी 1' व 'बी 2' ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत उनके परीक्षण में उनके विरूद्ध लगाये आक्षेपों से इंकार किया और यह बचाव लिया है कि रंजिश के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है।

अभियोजक का तर्क :— जिला अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना और अभियुक्तगण के बचाव स्वीकार योग्य न होना बताते हुए अभियुक्तगण को सभी आरोप में दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :— रंजिशवश अभियुक्तगण को झूठा फँसाया गया है । अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद हैं इसलिये अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । अतः उनको दोषमुक्त किया जाये ।

****